भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **3654**

जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019/19 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का आयात

3654. श्री तापिर गावः
श्री बंदी संजय कुमारः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री पी.सी. मोहनः
डॉ. भारतीबेन डी. श्यालः
सुश्री प्रतिमा भौमिकः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न पत्तनों के माध्यम से आयात किए जा रहे विभिन्न उर्वरकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में विभिन्न पत्तनों के माध्यम से विभिन्न देशों से उर्वरकों के आयात में कौन सी एजेंसियां शामिल हैं;

(ग) देश में उर्वरकों के आयात हेतु पत्तनों और विदेशी आपूर्ति का चयन करने के पीछे क्या तर्क है; और

(घ) उर्वरक कंपनियों द्वारा देश में उर्वरक की आपूर्ति का तर्क और योजना क्या है तथा उर्वरक कंपनियों की उक्त आपूर्ति योजनाओं के साभार तंत्र लाभ का क्या औचित्य है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आयातित उर्वरकों की मात्रा नीचे दी गई है:-

उर्वरकों का आयात

<मात्रा एलएमटी में>

वर्ष	यूरिया	डीएपी*	एमओपी*	एनपीके*
2016-17	54.81	43.85	37.36	5.21
2017-18	59.75	42.17	47.36	4.99
2018-19	74.81	66.02	42.14	5.46

*विभिन्न कंपनियों से प्राप्त सूचना पर आधारित

(ख): यूरिया सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है और सीधे कृषि उपयोग के लिए सरकारी खाते से इसका आयात सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) नामत: एमएमटीसी लिमिटेड (एमएमटीसी), राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसी) और राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) के माध्यम से अनुमति प्राप्त है। मेसर्स आईपीएल, जो राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) भी था, को डीजीएफटी द्वारा 05.10.2018 से राज्य व्यापार उद्यमों की सूची से हटा दिया गया है।

भारत सरकार और ओमिफ्को के बीच हुए एक दीर्घकालिक यूरिया उठान करार (यूओटीए) के तहत सरकार ओमान इंडिया फर्टिलाइजर्स कंपनी (ओमिफ्को) से भी यूरिया का आयात कर रही है। इस परियोजना को भारतीय पक्ष की तरफ से इंडियन फार्मर्स एण्ड फर्टिलाइजर्स कॉ-ऑपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) और कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) तथा ओमानी पक्ष की तरफ से ओमान ऑयल कंपनी द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। भारत सरकार और ओमिफ्को, ओमान के बीच यूओटीए के तहत ओमिफ्को संयुक्त उद्यम कंपनी में संयुक्त उद्यम भागीदार होने के नाते इफ्को और कृभको ओमिफ्को, ओमान से एफओबी आधार पर यूरिया का आयात कर रहे हैं और भारत सरकार की आपूर्ति योजना के अनुसार राज्यों को ओमिफ्को यूरिया का वितरण कर रहे हैं।

उर्वरकों (यूरिया को छोड़कर) का आयात मुक्त है और इसे मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के रूप में जाने जाने वाले ओजीएल के तहत निजी खाते से किया जाता है। विभिन्न कंपनियां इन उर्वरकों का आयात अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार करती हैं।

(ग) और (घ): कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) द्वारा प्रत्येक फसल मौसम की शुरूआत से पहले राज्य सरकारों के परामर्श से माह-वार मांग का मूल्यांकन और अनुमान लगाया जाता है। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा प्रदत्त माह-वार एवं राज्य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग, उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के अनुसार सम्मत मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है। मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

यूरिया का आयात या तो नामोद्दिष्ट राज्य व्यापार निगमों के माध्यम से उर्वरक विभाग और राज्य व्यापार निगमों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार सरकारी खाते से या ओमिफ्को के दीर्घकालिक करार के तहत किया जाता है। अन्य उर्वरकों का आयात ओजीएल के तहत आता है। पत्तनों के संबंध में निर्णय राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रदत्त विभिन्न विकल्पों और अलग-अलग क्षेत्रों की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। उर्वरक कंपनियों द्वारा देश में उर्वरकों की आपूर्ति सम्मत आपूर्ति योजना के अनुसार की जाती है ताकि कोने-कोने में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मांग-पत्रों के अनुसार समय पर उर्वरक पहुंचाकर आपूर्ति को सहज बनाने के लिए राज्य सरकारों को नियमित रूप से उर्वरक विनिर्माताओं तथा आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करने की सलाह दी जाती है।

****